संख्या : 35/2024/बी-2-768/दस-2024-244/2024(II)

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनाँक : 27 दिसम्बर, 2024**

विषय : वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांगों से सम्बन्धित विधान मण्डल द्वारा पारित विनियोग विधेयक श्री राज्यपाल की स्वीकृति के उपरान्त दिनाँक 26 दिसम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश विनियोग (2024-2025 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या - 15 सन् 2024) के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है ।

2- अतः वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 तथा उसके क्रम में निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनाँक 19 जून, 2024, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2024/बी-1-642/दस-2024-231/2024, दिनाँक 16 जुलाई, 2024 तथा वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-23/2024/बी-2-559/दस-2024-244/2024, दिनाँक 07 अगस्त, 2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार निम्नवत् आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें -

(1) वित्तीय वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि में योजनाओं / परियोजनाओं पर दिनाँक 31 मार्च, 2025 तक व्यय / वास्तविक उपयोग की सीमा तक ही आवश्यक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायें ।

(2) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2018/ए-1-08ए.जी./दस-2018-10(50)/2011, दिनाँक 14 मार्च, 2018 द्वारा राज्य सरकार की संचित निधि से धनराशि आहरित कर पी.एल.ए. में रखे जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है । तद्नुसार निदेशित किया जाता है कि प्रशासकीय विभाग वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को आहरित कर पी.एल.ए. खातों में जमा किये जाने का प्रस्ताव नहीं करेंगे ।

(3) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इन्हें दृष्टिगत रखते हुये वित्तीय स्वीकृतियों सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराये जायें ।

(4) वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदान में, अनुदान संख्या 26 - गृह (पुलिस) विभाग एवं अनुदान संख्या 84 - सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी है । उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत उक्त अग्रिमों की प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2016/बी-2-1274/दस-2016-एम-46/2016, दिनाँक 29 अगस्त, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जाय तथा प्रतिपूर्ति की धनराशि का नकद आहरण न कर पुस्तक समायोजन द्वारा लेखाशीर्ष "8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि में विनियोजन" में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

3- वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित अन्य दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में उल्लिखित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 तथा उसके क्रम में निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनाँक 19 जून, 2024, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2024/बी-1-642/दस-2024-231/2024, दिनाँक 16 जुलाई, 2024 तथा वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-23/2024/बी-2-559/दस-2024-244/2024, दिनाँक 07 अगस्त, 2024 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

4- द्वितीय अनुपूरक अनुदानों में प्रस्तावित नये निर्माण कार्यों के लिये वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने वाले प्रकरणों में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2024/बी-1-642/दस-2024-231/2024, दिनाँक 16 जुलाई, 2024 की व्यवस्था लागू नहीं होगी ।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

संख्या : 35/2024/बी-2-768(1)/दस-2024-244/2024(II), तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3 अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10 निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।
11 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
13 गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in